

‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के पोर्टल की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

31 मार्च, 2022 को हरियाणा के कृषि एवं कसिान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ के नाम से एक नई बागवानी फसल बीमा योजना के पोर्टल की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत कसिानों की फसलों में प्रतिकूल मौसम व प्राकृतिक आपदाओं के कारण से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।
- प्रतिकूल मौसम कारक तथा प्राकृतिक आपदाओं, जैसे- ओलावृष्टि, तापमान, पाला, जल कारक (बाढ़, बादल फटना, नहर/ड्रेन का टूटना, जलभराव), आंधी तूफान व आग, जो फसल नुकसान का कारण बनते हैं, को योजना में शामिल किया जा रहा है।
- इस योजना के तहत 21 फसलें शामिल हैं, जिनमें 14 सब्जियाँ (टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, मटर, गाजर, भंडी, घिया, करेला, बैंगन, हरी मरिच, शमिला मरिच, पत्तागोभी, मूली), 2 मसाले (हल्दी, लहसुन) और 5 फल (आम, कनिनू, बेर, अमरूद, लीची) शामिल हैं।
- यह योजना उन सभी कसिानों के लिये वैकल्पिक तौर पर होगी, जो ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ के तहत पंजीकृत हैं।
- योजना के तहत आश्वस्त राशि (सम एश्योरड) सब्जियों व मसालों के लिये रुपए 30,000 रुपए प्रति एकड़ व फलों के लिये 40,000 रुपए प्रति एकड़ होगी तथा कसिान का योगदान/हसिस्सा आश्वस्त राशि का केवल 2.5 प्रतिशत होगा, जो कि सब्जियों में 750 रुपए व फलों में 1000 रुपए प्रति एकड़ होगी।
- कृषि मंत्री ने बताया कि मुआवजा को चार श्रेणी- 25, 50, 75 व 100 में बाँटा गया है। 26 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच फसल नुकसान की अवस्था में मुआवजा 50 प्रतिशत की दर से सब्जियों/मसालों के लिये 15,000 रुपए व फलों के लिये 20,000 रुपए, 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच नुकसान की अवस्था में मुआवजा 75 प्रतिशत की दर से सब्जियों/मसालों के लिये 22,500 रुपए व फलों के लिये 30,000 रुपए तथा 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान की अवस्था में मुआवजा 100 प्रतिशत की दर से सब्जियों/मसालों के लिये 30,000 रुपए व फलों के लिये 40,000 रुपए दिया जाएगा।
- सरकार द्वारा योजना के लिये प्रारंभिक पूंजी के रूप में 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। मुआवजा राशि सर्वेक्षण पर आधारित होगी। योजना की नगिरानी, समीक्षा एवं विवादों का समाधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत गठित राज्य स्तर व जिला स्तर की समितियों के माध्यम से किया जाएगा।